

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 2057/2026**

रामबिंद उर्फ रामू बिंद और 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री अशोक कुमार सिंहविपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता , श्री आशीष कुमार तिवारी
-----**न्यायालय संख्या - 16****माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह**

दिनांक 27.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

*"1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं का कथन है कि वाद में समझौता हो गया है।**अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

2. इसके दृष्टिगत, पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे समझौते के सत्यापन हेतु दिनांक 17.03.2026 को संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।

3. विचारण न्यायालय इसे सत्यापित करेगा तथा नियत आगामी तिथि तक इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

4. रिपोर्ट के साथ दिनांक 30.03.2026 को सूचीबद्ध करें।

5. सूचीबद्ध होने की आगामी तिथि तक, पुलिस थाना-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 414/2016 के अनुसरण में आवेदक के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

6. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि मूल समझौता विलेख, यदि कोई हो, विचारण न्यायालय के समक्ष इसके सत्यापन हेतु उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर, इसकी एक छायाप्रति अभिलेख पर सुरक्षित रखते हुए, आवेदक के अधिवक्ता को वापस कर दे।"

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.2026 की सत्यापन रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 06.01.2026 का समझौता विलेख विधिवत सत्यापित किया जा चुका है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया।

इस प्रार्थनापत्र द्वारा आवेदकगण ने पुलिस थाना-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ में दर्ज मु0 अपराध संख्या 414/2016, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 379, 411 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 65, 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दाखिल आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 01/16 दिनांक 13.12.2016 तथा प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत अनुपूरक आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 03/22 दिनांक 11.04.2022 से उत्पन्न, एवं विद्वान् विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 4305749/2016 (राज्य बनाम राम बिंद एवं अन्य) की सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की है।

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कुछ भ्रान्ति के कारण, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आगे कहा कि बाद में, पक्षकार एक साथ बैठे और उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवादों का निपटारा कर लिया, जिसे दिनांक 06.01.2026 को लेखबद्ध कर लिया गया है। तत्पश्चात, आवेदकों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 2057/2026 दाखिल किया, जिसमें इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से विचारण न्यायालय को उक्त समझौता विलेख को सत्यापित करने का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

निर्देश दिया था और उसके अनुपालन में, समझौता विलेख दिनांक 17.03.2026 को सत्यापित किया गया। उनका प्रस्तुत करना है कि अब पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है और उन्होंने अपना विवाद सुलझा लिया है। उनका प्रस्तुत करना है कि वर्तमान वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इस प्रकार, आवेदकों के विरुद्ध वर्तमान आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है।

विपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया है तथा विपक्षी संख्या-2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः, आवेदकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपरोक्त प्रस्तुतियों पर कोई आपत्ति नहीं है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, मैं यह पाता हूँ कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 06.01.2026 को समझौता हो गया है और उक्त समझौते को दिनांक 17.03.2026 को सत्यापित किया जा चुका है और अब, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथन के अनुसार, वे आवेदकों के विरुद्ध उपर्युक्त आपराधिक कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि आवेदकों और विपक्षी पक्षकारों ने दिनांक 06.01.2026 को समझौता कर लिया है और कोई भी शिकायत विवादित नहीं रह गई है, तथा इस प्रकार, **बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003) 4 एस.सी.सी. 675; निखिल मर्चेट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2008) 9 एस.सी.सी. 677; मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य, (2008) 16 एस.सी.सी. 1; ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस.सी.सी. 303; और नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एस.सी.सी. 466** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के दृष्टिगत, उपर्युक्त आपराधिक वाद में आगे की आपराधिक कार्यवाही अपास्त किए जाने योग्य है।

तदनुसार, पुलिस थाना-सरोजनी नगर, जिला-लखनऊ में दर्ज वाद अपराध संख्या 414/2016, अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 379, 411 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 65, 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में दाखिल आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 01/16 दिनांक 13.12.2016 तथा प्रस्तुत अनुपूरक आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 03/22 दिनांक 11.04.2022 से उत्पन्न, एवं विद्वान् विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में लंबित आपराधिक वाद संख्या 4305749/2016 (राज्य बनाम राम बिंद एवं अन्य) में आवेदकगण के विरुद्ध संस्थित सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

यह समझौता इस आदेश का भाग होगा।

तदनुसार यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दाखिल दफ्तर किया जाए।

मार्च 30, 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।